



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संचिका सं०:SHSB/GA/HR/3172/2018

आदेश सं०:.....

पटना, दिनांक:/09/2020

- : आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Certificate in Community Health के तहत चयनित GNM/B.Sc Nursing के अभ्यर्थी, जिनका नामांकन IGNOU द्वारा संचालित Certificate Course के सत्र जुलाई-दिसम्बर, 2019 में किया गया था तथा IGNOU द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है। इन उत्तीर्ण एवं सफल 13 (Fresh) अभ्यर्थियों को Community Health Officer (CHO) के रूप में विज्ञापित ToR में निर्धारित मानदेय ₹25,000 + Incentive अधिकतम ₹15,000 (कुल ₹40,000) प्रतिमाह पर निम्नानुसार विहित शर्तों के तहत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित जिला के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन पदस्थापित किया जाता है:-

Fresher's Candidate's passed in IGNOU exam.

Sl. No	Enrolment No. (IGNOU)	Candidate's Name	Home District	Posting District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	198718570	Preeti Kumari	Vaishali	Vaishali
2.	198718563	Pallavi Kumari	Vaishali	Vaishali
3.	198717443	Ranjana Pal	Vaishali	Vaishali
4.	198718549	Sweety Kumari	Vaishali	Vaishali
5.	198718190	Varsha Kumari	Aurangabad	Aurangabad
6.	198718137	Kusum Kumari	Aurangabad	Aurangabad
7.	198718120	Khushboo Kumari	Aurangabad	Aurangabad
8.	198717809	Kumari Puja Bharti	Purnea	Purnea
9.	198718097	Chandani Kumari	Arwal	Arwal
10.	198717626	Surbhi Suman	Begusarai	Begusarai
11.	198718531	Khushboo Kumari Singh	Bhojpur	Bhojpur
12.	198717980	Neha Kumari	Katihar	Katihar
13.	198717292	Sonam Kumari	Gaya	Gaya

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक 30/09/2020 तक उपरोक्त अभ्यर्थी अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित जिला के जिला स्वास्थ्य समिति में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए ₹1,000/- का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (जो लागू हो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 03/10/2020 तक, सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष उपस्थित होंगी और जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एकरारनामा सम्पन्न करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।
- वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से सरकारी सेवा या किसी अन्य संस्थान/संस्था में नियमित अथवा अनुबंध पर नियोजित एवं कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय नियोजित संस्था/संस्थान के सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा/है।

(Signature)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- iv) यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
- v) चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
- vi) आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- vii) सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद उन्हें विकसित HWC-HSC में पदस्थापित करेंगे। पदस्थापित CHO/CHOs का मानदेय/प्रतिमाह FMR code-8.1.12.1 के तहत विकलनीय होगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति अभ्यर्थियों के योगदान के पश्चात् यथाशीघ्र एकरारनामा सम्पन्न करते हुए उनकी पदस्थापन की सूचना/प्रतिवेदन तुरंत इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक : SHSB/GA/HR/3172/2018/.....५५२२ पटना, दिनांक:.....१९/०९/२०२०

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (H&WC) एवं (AYUSH), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

